

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ० बजट-आवंटन-21/2016 42(आवंटन)

कृ०, पटना दिनांक-21-07-2016

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- किशनगंज में कृषि महाविद्यालय, हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेन्टर इन्टीग्रेटेड यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक तथा फिशरीज एवं एडवांस सेन्टर ऑन सेरीकल्चर के आधारभूत संरचना के लिए पूर्व में स्वीकृत परियोजना लागत 562.50 करोड़ रुपये को पुनरीक्षित करते हुए कुल 683.392 करोड़ रुपये (छः अरब तेरासी करोड़ उनचालीस लाख बीस हजार रुपये) परियोजना लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वर्ष 2016-17 में तत्काल 4.04 करोड़ रु० (चार करोड़ चार लाख रु०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप ₹4,04,00,000 (चार करोड़ चार लाख रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या:-3067 दिनांक-14.07.2016 द्वारा किशनगंज में कृषि महाविद्यालय, हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेन्टर इन्टीग्रेटेड यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक तथा फिशरीज एवं एडवांस सेन्टर ऑन सेरीकल्चर के आधारभूत संरचना के लिए पूर्व में स्वीकृत परियोजना लागत 562.50 करोड़ रुपये को पुनरीक्षित करते हुए कुल 683.392 करोड़ रुपये (छः अरब तेरासी करोड़ उनचालीस लाख बीस हजार रुपये) परियोजना लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वर्ष 2016-17 में तत्काल 4.04 करोड़ रु० (चार करोड़ चार लाख रु०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु कुल ₹4,04,00,000 (चार करोड़ चार लाख रु०) की राशि आवंटित की जाती है।

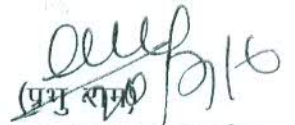
2. उपरोक्त ₹4,04,00,000 (चार करोड़ चार लाख रु०) की राशि का व्यय बजट शीर्ष 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-उपमुख्यशीर्ष-01-फसल कृषि कर्म-लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग संख्या-01 -उपशीर्ष-0104-बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड- P2415017960104- के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि ₹4,04,00,000 (चार करोड़ चार लाख रु०) मात्र से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक:-2561 वि० (2) दि०-17.04.98 एवं पत्रांक:-4572 दि०-03.06.2016 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के बाद टी०भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन

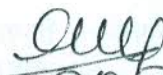

(प्रभु राम)

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 42 (आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक-21-07-2016

- प्रतिलिपि:- महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

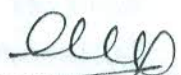

निदेशक प्रशासन-सहायक, अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 42 (आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक-21-07-2016

प्रतिलिपि:- कृषि निदेशक/निदेशक उद्यान/निदेशक, पी०पी०एम० (कृषि विभाग)/निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/वित्त विभाग, (बजट -शाखा) बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, (प्रशाखा-04,समन्वय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्प), सूचना बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रशासन-सहायक, अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।